न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/148/2011

उनवान

1. पारसमल आत्मज नाथू लाल महात्मा निवासी राजाजी का करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रकाश चन्द्र आत्मज कालु लाल महात्मा मृतक के बजाय :–
   1/1 श्रेणिक महात्मा आत्मज प्रकाश चन्द्र महात्मा निवासी करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा
   1/2 श्रीमती रजनी आत्मजा स्व0प्रकाश चन्द्र महात्मा पत्नि मुकेश कुमार लोढा, निवासी कृषि मण्डी के पास, भॅवर बाडी के अन्दर , विजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर
   1/3 श्रीमति नीलम आत्मजा स्व0 प्रकाश चन्द्र महात्मा पत्नि चन्द जैन, निवासी –The Trailor Transport, Trailor Esttd Calico Nagar,Sarkhej Road Narol Ahmedabad (Gujrat)382405
   1/4 श्रीमति मधु देवी पत्नि स्व0 प्रकाशचन्द्र महात्मा निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. मीठा लाल आत्मज नाथू लाल महात्मा निवासी करेडा हाल निवासी मीठा लाला राजेश कुमार महात्मा एल आई जी –39/10 फर्स्ट फ्लोर, मेरूल सेक्टर 10, नई मुंबई (महाराष्ट्र)
3. शांतिलाल आत्मज नाथु लाल महात्मा निवासी करेडा हाल चपरासी कोलोनी, भीलवाडा
4. श्याम लाल आत्मज नाथू लाल महात्मा निवासी करेडा हाल बंगला नम्बर –2 रामपार्क सोसाईटी कामरेज चार रास्ता सूरत (गुजरात)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा
6. अजीत कुमार आत्मज पारसमल महात्मा निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण
संख्या 90/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.3.2011

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, श्री राकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री एस एल वैद ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी
3.श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 6
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 6.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रकाश चन्द्र महात्मा/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

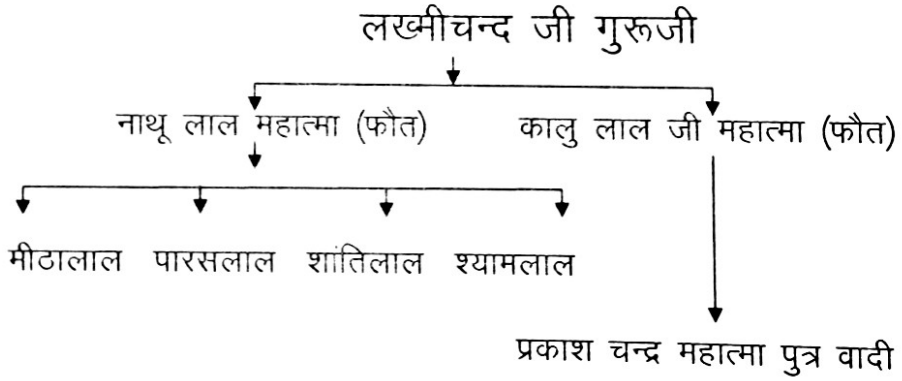

इस प्रकार लख्मीचन्द जी गुरूजी के दो पुत्र नाथू लाल महात्मा व कालू लाल महात्मा का जन्म हुआ तथा नाथू लाल व कालु लाल जी महात्मा का देहान्त हो गया व कालू लाल जी महात्मा के एक पुत्र वादी प्रकाश चन्द्र महात्मा का जन्म हुआ तथा नाथू लाल जी महात्मा के चार पुत्र मीठा लाल प्रतिवादी संख्या 1, पारसलाल प्रतिवादी संख्या 2,

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

शान्ति लाल प्रतिवादी संख्या 3, एवं श्यामलाल प्रतिवादी संख्या 4 का जन्म हुआ ।

2. करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1905 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 3921 रकबा 07 बिस्वा, व आराजी नम्बर 3935 रकबा 15 बिस्वा, व आराजी नम्बर 5536 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा जी लख्मीचन्द जी के जमाने की है तथा लख्मीचन्द जी ने अपने जीवन काल में अन्य आराजियात के साथ–साथ उक्त आराजियात को वादी के पिता कालु लाल महात्मा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता नाथू लाल जी महात्मा को दिनांक 12.5.1984 वसीयत की तथा वसीयतनामा लिखा गया उक्त वर्णित आराजियात वादी के पिता कालुलाल महात्मा के हिस्से में वसीयतनामा के आधार पर आई तथा लख्मीचन्द जी के देहान्त के उपरान्त उक्त वर्णित आराजियात पर वादी के पिता कालुलाल महात्मा काबिज हुए व उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे व वादी के पिता कालुलाल का देहान्त हो गया व कालुलाल महात्मा के देहान्त के उपरान्त वादी उक्त वर्णित आराजियात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था । वादी वादग्रस्त आराजियात पर ही था कि प्रतिवादीगण मौके परआये व वादी को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल करने लगे इस पर वादी ने कहा कि उक्त वणिर्सत आराजियात पैतृक है जो कि वादी के पिता को उनके पिता लख्मीचन्द जी से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर प्रतिवादीगण ने वादी को कहा कि उक्त वर्णित आराजियात वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पर है इस कारण से प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करके ही रहेंगें। आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय , हस्तान्तरण खुर्द–बुर्द कर देंगें। इस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की तब वादी को जानकारी हुई कि वादी के पिता को वादी के दादा जी लख्मीचन्द जी से जरिये वसीयत प्राप्त हुई वादपत्र की चरण संख्या 2 में वणिर्सत वादग्रस्त आराजियात राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गफलत व लापरवाही के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता नाथु लाल महात्मा के नाम पर अंकन कर दी । बल्कि वसीयत नामे के अनुसार जो आराजी वादी के पिता को एवं प्रतिवादीगण के पिता को वसीयत की थी उन्हीं के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अंकन हुई है। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है जबकि वादी के पिता कालु लाल महात्मा का ही उक्त वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा रहा है व कालु लाल महात्मा के देहान्त उपरान्त वादी ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग व काश्त करता चला आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजी पर कभी भी प्रतिवादीगण का एवं उसके पिता नाथू लाल महात्मा का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही है।

3. वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता कालु लाल महात्मा के हिस्से में आई तथा लख्मीचन्द्र जी के देहान्त के उपरान्त उक्त वादग्रस्त आराजियात पर वादी के पिता कालुलाल महात्मा काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जाकर वादी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं। अतः वादग्रस्त आरायिजात वादी के पिता कालु लाल महात्मा के हिस्से में आई तथा लख्मीचन्द्र जी के देहान्त के उपरान्त उक्त वादग्रस्त आराजियात पर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी,

वादी के पिता कालुलाल महात्मा काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दौराने विचारण प्रत्यर्थी प्रकाश चन्द्र पुत्र कालूलाल महात्मा के विधिक वारिसान द्वारा वाद का प्रत्याहरण कर नया वाद संस्थित करने हेतु स्वीकृति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (1) (3) सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर मृतक प्रकाश चन्द्र पुत्र कालुलाल महात्मा के विधिक वारिसान की ओर से वाद के द्वारा प्रत्याहर कर नया वाद संस्थित करने हेतु जो कि मृतक प्रकाश चन्द्र द्वारा विचारण न्यायालय में वादी के रूप में इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संस्थित किया गया था उसे प्रत्याहरण कर नया वाद संस्थित करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लख्मीचन्द जी महात्मा के दो पुत्र नाथू लाल एवं कालूलाल थे। उक्त वादग्रस्त आराजियात स्व0 लख्मीचन्द जी के जमाने से चली आ रही थी। लख्मीचन्द जी की मृत्यु के बाद तमाम ग्राम करेडा एवं दहीमथा के राजस्व रेकार्ड में उनके बडे पु नाथू लाल जी के नाम पर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई और स्व0 कालूलाल जी छोटे भाई होने से उनके नाम पर दर्ज नहीं हुई। उसकी वजह सेनवीन राजस्व रेकार्ड में भी स्व0 कालूलाल जी महात्मा का नाम स्व0 नाथू लाल जी के वारिसान के साथ–साथ सहकाश्तकार के रूप मे दर्ज नहीं हो पाया । परन्तु स्व0 नाथू लाल महात्मा ने अपने छोटे भाई कालूलाल महात्मा के पक्ष में पाती (विभाजन)संवत 2025 का बैशाख बीद 3 को लिखतम के जरिये आधा आधा हिस्सा कर दिया । इस प्रकार उक्तानुसार दोनों भाईयों का अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। नवीन राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1905 रकबा 0.13 बिस्वाा, आराजी नम्बर 3921 रकबा 0.07 बिस्वा, आराजी नम्बर 3935 रकबा 0.07 बिस्वा, एवं आराजी नम्बर 5536 रकबा 0.18 बिस्वा कुल 2 बीघा 13 बिस्वा है जिसके साबिक आराजी नम्बर 1714/2 (बूदेला नामी) आराजी नम्बर 1356 रकबा (गुगरडा वाला) आराजी नम्बर 2850 (सडक का भडा को) है।

6. ठस प्रकार स्व0 नाथू लाल जी महात्मा के वारिसान मीठालाल, पारवसमल, शांतिलाल, एवं श्यामलाल इस तहरीर से पाबन्द है। उक्त तहरीर (फेमेली सेटलमेण्ट) जो संवत 2025 बैशाख बुद 3 को स्व0 नाथू लाल जी महात्मा द्वारा अपने छोटे भाई स्व0 कालू लाल जी महात्मा के पक्ष में निष्पादित किया था, जिसका वाद पत्र में जिक्र नहीं किया जाने से वाद पत्र में तनकीकि त्रुटि रह गई है और दिनांक 12.5.1984 को जिस लिखतमक का जिक्र किया गया है उक्तानुसार स्व0 नाथू लाल जी महात्मा के वारिसान मीठालाल, पारसमल, शांति लाल एवं श्याम लाल के मध्य हुए विभाजन का जिक्र किया गया है। इस विभाजन से स्व0 कालू लाल जी महात्मा का ताल्लुक नहीं है क्योंकि पूर्व विभाजन से स्व0 नाथू लाल जी महात्मा को जो संपदा विरासत से प्राप्त हुई उसका चार हिस्सो में उनके वारिसान

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

में विभाजन हुआ है यह भी तकनीकी खामी है। इस कारण प्रत्यर्थी स्व0 प्रकाश चन्द्र के द्वारा विचारण न्यायालय में जो वाद पेश किया गया था उसका प्रत्यर्थी स्व0 प्रकाश चन्द्र के वारिसान प्रत्याहरण कर नया वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं।

7. विचाराधीन वाद का प्रत्याहरण करने से अपीलार्थी एवं अन्य प्रत्यर्थीया का वास्तव में कोई अहित होने की कतई संभावना नहीं है । कानूनन वाद के प्रत्याहरण हेतु आंशिक एवं पूर्ण रूप से नया वाद पेश किये जाने से वादी को सदैव छुट है। अपीलार्थी एवं अन्य प्रत्यर्थीगण (जो प्रतिवादीगण है) को वाद व्यय दिलाये जाने के अतिरिक्त कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं और वाद का प्रत्याहरण करके वर्तमान अभियोजन को चालू रखने हेतु दबाव बनाये जाने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। इस कारण साम्या के सिद्धान्त अनुसार प्रत्यर्थी स्व0 प्रकाश चन्द्र महात्मा के वारिसान को अपना वाद प्रत्याहरण करने की अनुमति प्रदान करते हुए संवत 2025 बैशाख बुद 3 को स्व0 नाथू लाल महात्मा एवं स्व0 कालू लाल महात्मा के हस्ताक्षर युक्त तहरीर (फेंमेली सेटलमेंट) का मुख्य आधार बताते हुए प्रत्यर्थी स्व0 प्रकाश चन्द्र महात्मा के वारिसान 1/2 आधा हिस्सा है तथा स्व0 नाथू लाल जी महात्मा के वारिसान का 1/2 आधा हिस्सा है, इस आशय की घोषणा करते हुए विभाजन के अनुतोष हेतु उसी वाद हेतुक पर नये वाद के प्रस्तुतीकरण हेतु अनमति प्रदान की जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः प्रत्यर्थी स्व0 प्रकाश चन्द्र महात्मा के वारिसान को वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान कर नया वाद इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । अधिवक्ता प्रार्थी/प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण सह तं (सिविल) (एस सी) 2018 अनिल कुमार सिंह बनाम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शीलवाड़ा

विजय पाल सिंह व अन्य सिविल अपील संख्या 20007 निर्णय दिनांक 30 नवम्बर 2017 , आर एल डब्ल्यू (1) पेज 387 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (1) (3) सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

8. अधिवक्ता अपीलार्थी/विपक्षी का निवेदन है कि वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान कर उसी वाद हेतुक पर नये वाद के प्रस्तुतीकरण हेतु अनमति प्रदान की जाना न्यायोचित नहीं है। विपक्षी/प्रत्यर्थी/वादीगण को वाद के विचारण के दौरान ही उक्त तथ्यों की जानकारी थी। ऐसी स्थिति में वाद प्रस्तुत करने के वक्त ही वाद में वांछित अनुतोष बाबत निवेदन किया जाना चाहिये था। अधिवक्ता अपीलार्थी/विपक्षी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (1) (3) सिविल प्रकिया संहिता खारिज किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी विपक्षी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2010 पेज 634, डब्ल्यू एल सी 2015 (यू सी) पेज 140, सी जे (सिविल) एस सी 2019 (2) पेज 40 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

9. हमनें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (1) (3) सिविल प्रकिया संहिता पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (1) (3) सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी स्व0 प्रकाश चन्द्र महात्मा के वारिसान को वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान कर नया वाद इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया । सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 23(1)में यह वर्णित किया गया है कि " **जहॉ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी**

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्ररूपित त्रुटि के कारण वाद असफल रहना चाहिये या यह कि किसी वाद की विषयवस्तु या उसके भाग के लिए नये सिरे से वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त आधार है, वह ऐसे निबंधनों पर, जैसे व ठीक समझे, नये सिरे से वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता सहित, वाद प्रत्याहृत करने के लिए वादी को अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।''

10. न्यायिक उद्धरण मेहताब सिंह बनाम तिलक राज अरोडा और एक अन्य 1989 1 सि0नि0 पेज 576 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि '' जहॉ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्ररूपिक त्रुटि के कारण वह वाद असफल रहना चाहिये या यह कि किसी वाद की विषयवस्तु या उसके भाग के लिए नये सिरे से वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार है, वह ऐसे निबंधनों , पर जैसे वह ठीक समझे, नये सिरे से वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता सहित वाद प्रत्याहृत करने के लिए वादी को अनुज्ञात कर सकता है।

11. सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 23(1)में दिये गये प्रावधानों एवं उपरोक्त न्यायिक उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में यर्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (1) (3) सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान कर नया वाद इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित समझते हैं।

12. अतः प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (1) (3) सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान कर नया वाद इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

13. निर्णय आज दिनांक 6.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.06 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: